कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी

KRISHI VIGYAN KENDRA, Bundi

प्रसार शिक्षा निदेशालय (कृषि विश्वविद्यालय, कोटा)

DIRECTORATE OF EXTENSION EDUCATION (AGRICULTURE UNIVERSITY, KOTA)

पी.ओ. बॉक्स–4, श्योपुरिया की बावड़ी, नैनवा रोड, बूंदी – 323001, (राज.)

P.O. Box-4, Shyopuria Ki Bawari, Nainwa Road, Bundi - 323001, (Raj.) India

डॉ. महेश चौधरी (वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष)
Dr. Mahesh Choudhary (Senior Scientist & Head)

Email : kvkbundi@aukota.org
Website : http://bundi.kvk2.in/

9829408402 (Mob.)

F. ( )/KVK/BND/TENDER/2026/400-404 Date: 23.07.2026

फलदार वृक्षों के फलों की खुली बोली संबंधी सूचना

कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी परिसर स्थित लगभग 150 अमरूद, 90 बेर, 90 चीकू, 30 आँवला एवं 15 जामुन के फलदार वृक्षों के वर्ष 2026-27 के फलों के दोहन के अधिकार की नीलामी खुली बोली के माध्यम से दिनांक 31.07.2026 को दोपहर 2:00 बजे कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी परिसर में आयोजित की जाएगी। विस्तृत नियम एवं शर्तें तथा अन्य आवश्यक जानकारी राजस्थान राज्य सार्वजनिक खरीद पोर्टल (https://sppp.rajasthan.gov.in) तथा कृषि विश्वविद्यालय, कोटा की वेबसाइट (https://aukota.org) पर उपलब्ध हैं। अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कोई कारण बताए किसी भी अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	न्यूनतम आरक्षित बोली (रुपये में)	अवधि
1	कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी परिसर स्थित लगभग 150 अमरूद, 90 बेर, 90 चीकू, 30 आँवला एवं 15 जामुन के फलदार वृक्षों के फलों के दोहन के अधिकार की खुली बोली द्वारा नीलामी।	₹1,25,000/-	12 माह

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. श्रीमान निदेशक प्रसार शिक्षा, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
2. श्रीमान नोडल अधिकारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट, सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
3. समिति के समस्त सदस्य ।
4. नोटिस बोर्ड, कृषि विज्ञानं केंद्र बूंदी/ कृषि विश्वविद्यालय कोटा

23-07-2026

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

शर्तें एवं नियम

1. प्रत्येक बोलीदाता को खुली बोली में भाग लेने से पूर्व ₹10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) धरोहर राशि जमा करानी होगी।
2. प्रत्येक बोलीदाता को बोली के समय अपना आधार कार्ड अथवा अन्य वैध फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. जिस बोलीदाता के नाम ठेका स्वीकृत होगा, उसे कुल ठेका राशि तीन समान किस्तों में जमा करानी होगी। प्रथम किस्त (कुल ठेका राशि का एक-तिहाई) ठेका स्वीकृति के सात दिवस के भीतर, द्वितीय किस्त 31 दिसम्बर, 2026 तक तथा तृतीय किस्त 28 फरवरी, 2027 तक जमा करानी होगी। प्रथम किस्त निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराने पर धरोहर राशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त किया जा सकेगा तथा नियमानुसार पुनः नीलामी अथवा अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। प्रथम किस्त जमा होने के उपरांत ही कार्यादेश जारी किया जाएगा।
4. ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित अथवा उप-ठेके (Sub-contract) पर नहीं दिया जाएगा। उल्लंघन की स्थिति में ठेका निरस्त किया जा सकेगा तथा धरोहर राशि नियमानुसार जब्त की जा सकेगी।
5. ठेकेदार कार्यादेश जारी होने के उपरांत ही कार्य प्रारम्भ करेगा।
6. फलदार वृक्षों की सुरक्षा तथा आवारा पशुओं से संरक्षण की व्यवस्था ठेकेदार स्वयं करेगा।
7. फलदार वृक्षों के रख-रखाव हेतु आवश्यक खाद, उर्वरक, पौध संरक्षण रसायन एवं सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध बजट प्रावधान एवं कार्यालय की स्वीकृति के अनुसार कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा की जाएगी। इनका उपयोग तथा उद्यानिकी संबंधी कार्य कार्यालय के तकनीकी निर्देशों के अनुसार ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।
8. ठेकेदार बगीचे की निराई-गुड़ाई, थांवले बनाना, खुदाई, तनों की पुताई, पौध संरक्षण रसायनों का छिड़काव, कटाई-छँटाई तथा अन्य आवश्यक रख-रखाव कार्य समय-समय पर कार्यालय द्वारा दिए गए तकनीकी निर्देशों के अनुसार करेगा।
9. ठेकेदार परिसर के समस्त फलदार वृक्षों का समुचित रख-रखाव करेगा। लापरवाही पाए जाने पर कार्यालय आवश्यक कार्य कराकर वास्तविक व्यय की वसूली नियमानुसार ठेकेदार से कर सकेगा।
10. ठेके की अवधि कार्यादेश जारी होने की तिथि से **31 जुलाई, 2027** तक रहेगी।
11. किसी भी प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र बून्दी (राजस्थान) होगा।
12. कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर में किसी भी प्रकार का नशा करना अथवा नशे की अवस्था में प्रवेश करना प्रतिबंधित रहेगा।
13. ठेकेदार अनुबंधानुसार देय समस्त राशि निर्धारित समयावधि में जमा कराने के लिए उत्तरदायी होगा। भुगतान अथवा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में प्रचलित नियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
14. ठेकेदार द्वारा नियोजित समस्त श्रमिकों की नामावली एवं उनके वैध पहचान-पत्रों की प्रतियाँ कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यालय में उपलब्ध करानी होंगी।
15. ठेकेदार अथवा उसके श्रमिकों द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र की परिसंपत्तियों को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाए जाने पर उसका आकलन कार्यालय द्वारा किया जाएगा तथा क्षतिपूर्ति की राशि नियमानुसार ठेकेदार से वसूल की जाएगी। आवश्यकता होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा ठेका निरस्त किया जा सकेगा।
16. प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों से होने वाली क्षति के लिए कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रचलित नियमों के अनुसार लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
17. किसी भी अथवा सभी बोलियों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
18. असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि नियमानुसार वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता की धरोहर राशि का समायोजन अथवा वापसी प्रचलित नियमों के अनुसार की जाएगी।
19. ठेका स्वीकृत होने पर सफल बोलीदाता को प्रचलित स्टाम्प अधिनियम के अनुसार निर्धारित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्र पर अनुबंध निष्पादित कर निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
20. यदि ठेकेदार कार्यादेश अथवा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो सक्षम प्राधिकारी को प्रचलित नियमों के अनुसार ठेका निरस्त करने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
21. जिन विषयों का उल्लेख इन शर्तों में नहीं है, उन पर कृषि विश्वविद्यालय के प्रचलित नियमों, वित्तीय प्रावधानों तथा सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।